न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 49/2019

जी.सी.एम.एस नम्बर –2019/00118

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
रमेश गोद पुत्र रूपंचद जाति दर्जी निवासी ग्राम कीरवा तहसील रानी जिला पाली		1. ग्राम पंचायत कीरवा जरिये सरपंच 2. लालाराम पुत्र श्री सुराराम जाति दर्जी निवासी ग्राम कीरवा तहसील रानी, जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :–

1. श्री जुझांराम परमारा विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री सोहनलाल, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2

–: निर्णय :–

दिनांक 26.04.22

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत कीरवा द्वारा मिसल संख्या 74/2010–2011 संकल्प संख्या 9 दिनांक 17.11.2011 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी लालाराम पुत्र सुरारामजी जाति दर्जी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 12 दिनांक 03.07.2011 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 02 का सयुक्त मिल्कियत का पुश्तैनी रहवासीय मकान ग्राम कीरवा तहसील रानी जिला पाली की आबादी में स्थित है, जिसके पूर्व दिशा में नवाराम पुत्र खेताजी तथा पकाराम पुत्र चतराजी के रहवासीय मकान स्थित है। पश्चिम दिशा में मकान का मुख्य दरवाजा तथा मुंह व आगे आम रास्ता है। उत्तर दिशा में मन्नाराम पुत्र श्री पीराजी सीरवी का रहवासीय मकान है। दक्षिण दिशा में काना पुत्र रूपाजी एंव भगाराम पुत्र श्री वरदाजी एंव भंवर पुत्र श्री देवाजी लोहार के मकान है जिस मकान को आगे निगरानी में वादग्रस्त मकान से सम्बोधित किया गया है। उपरोक्त पड़ौस बिचला रहवासीय मकान प्रार्थी के मृतक दादा तथा अप्रार्थी संख्या 02 के मृतक पिता सुराराम कि मिल्कियत है। मृतक सुराराम के कानुनी वारिसान में प्रार्थी के मृतक पिता रूपचंद एंव अप्रार्थी संख्या 02 लालाराम हुये। प्रार्थी के पिता रूपंचद का देहवासान हो चुका है और प्रार्थी रूपंचद का एकमात्र गोदीपुत्र है। मृतक रूपचंद के अन्य कोई कानुनी वारिसान नही होने से प्रार्थी एंव अप्रार्थी संख्या 02 वादग्रस्त रहवासीय मकान के मालिक है, जिस पर दोनो का 1/2, 1/2 का बराबर हिस्सा है, जिसके प्रार्थी एंव अप्रार्थी संख्या 02 सयुक्त रूप से बहैसियत मालिक है। इसकी जानकारी होते हुए भी अप्रार्थी संख्या 02 ने ग्राम पंचायत कीरवा से मिलावट करके वादग्रस्त मकान का जैर निगरानी पट्टा अपने अकेले के नाम से जरिये मिसल संख्या 74/2010–2011 के पट्टा संख्या 12 बनवा लिया। वादग्रस्त मकान प्रार्थी

अति. जिला कलेक्टर, पाली

एवं अप्रार्थी संख्या 02 के मृतक दादा तथा मृतक पिता सुराराम का पुश्तैनी मिल्कियत का है और मृतक सुराराम के कानुनी वारिसान में उनके दो जायन्दा पुत्रों में मृतक रूपंचद एवं अप्रार्थी संख्या 02 लालाराम है। रूपचंद तथा उनकी पत्नी का लाऔलाद देहावसान हो चुका है। मृतक रूपचंद जी ने अपने जीवनकाल में जाति रीति–रिवाज अनुसार प्रार्थी को गोद लिया। अप्रार्थी संख्या 02 लालाराम द्वारा वादग्रस्त मकान का पटटा अपने नाम से बनवाने बाबत जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें केवल मात्र अपने आपको 30 वर्षो से अधिक समय से रहवास होने का कथन किया है जबकि वादग्रस्त मकान में प्रार्थी एंव अप्रार्थी संख्या 02 का परिवार सयुक्त रूप से बहैसियत मृतक सुराराम के कानुनी वारिसान की हैसियत से बिना किसी रोक–टोक के निरन्तर सयुक्त रूप रहवास करते चले आ रहे है, जिसका कानुनन बंटवाडा प्रार्थी एंव अप्रार्थी संख्या 2 बीच नही हुआ है। अप्रार्थी संख्या 02 ने जैर निगरानी पट्टा जारी करवाने हेतु ग्राम पंचायत कीरवा में दिये गये प्रार्थना पत्र में केवल मकान पुश्तैनी होने का कथन किया है, यह कही उल्लेख नही किया गया है कि पुश्तैनी मकान में क्या–क्या बना हुआ है तथा उसमें कौन–कौन निवास कर रहा है। ग्राम पंचायत कीरवा द्वारा इस संबध में किसी प्रकार की जाचं नही की गई है एव ना ही ग्राम पंचायत ने मृतक सूराराम के विधिक वारिसान की जाचं की गई न कोई साक्ष्य सबुत लिया गया। प्रार्थी को कोई नोटिस नही दिया गया एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना ही जैर निगरानी का पट्टा जारी कर दिया। ग्राम पंचायत द्वारा नियम 146 के तहत मौका रिपोर्ट मंगवाने के बाद नियम 146(2) के तहत जो रिपोर्ट मंगवाई गई उसमें मकान के पड़ौस तथा उसके हदूद का नाप नही दर्शाया गया है और केवल मात्र वार्ड पंचों के हस्ताक्षर करवाये गये है। नोटिस चस्पा कहा किया गया इसका हवाला कही पर भी नही है, केवल मात्र दो गवाहान चुनाराम एवं मोतीसिंह के हस्ताक्षर है यह कही वर्णन नही है कि यह गवाहान कौन है कहां के रहने वाले है एवं उनकी वल्दीयत क्या है, जो कि नियमों की घोर अवहेलना है। ग्राम पंचायत कीरवा द्वारा पंचायती राज नियमों के तहत बयान लेते समय नियमों की अवहेलना की गई है जिसमें न तो लालाराम का नाम भरा हुआ है और न ही लालाराम के हस्ताक्षर है। अप्रार्थी संख्या 2 लालाराम स्वयं ने यह कथन किया कि वादग्रस्त मकान पुश्तैनी, कब्जाशुदा है जिससे स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त मकान पुराना एवं पुश्तैनी कब्जाशुदा है जो मृतक सुराराम जी की मिल्कियत का है। प्रार्थी मुम्बई में मजदुरी करता है। दिनांक 11.06.2019 को प्रार्थी वादग्रस्त मकान पर गया तो उसे वादग्रस्त मकान के पश्चिमी तरफ के हिस्से में तोड़फोड़ कर निर्माण कार्य बिना ग्राम पंचायत की ईजाजत के तथा बिना प्रार्थी की सहमति के करना पाया गया। प्रार्थी ने ग्राम पंचायत में अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा विवादित आराजी पर अवैध निर्माण को रोकने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया लेकिन ग्राम पंचायत ने इसके सम्बध में किसी प्रकार की कार्यवाही नही की, प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को निर्माण कार्य नही करने बाबत रोका तो अप्रार्थी ने प्रार्थी से झगडा किया जिसकी सूचना प्रार्थी ने जिला पुलिस अधीक्षक, पाली को प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थी के समर्थन में शंकरलाल पुत्र शिवलाल, जाति दर्जी निवासी सोनाई मांझी, तहसील पाली, सोहनलाल पुत्र श्री फौजमल जाति दर्जी निवासी घोडा तहसील देसूरी जिला पाली, सायरीदेवी पत्नी रामलाल,जाति दर्जी निवासी लाम्पी तहसील सुमेरपुर जिला पाली ने शपथ पत्र पेश किया। अतः ग्राम पंचायत किरवा द्वारा जारी पट्टा संख्या 12 दिनांक 03.07.2011 जो मिसल संख्या 74/2010–2011 के जरिये तथा आदेश दिनांक 17.11.2010 को जारी किया उसे निरस्त किया जावे तथा खर्चा

अति. जिला कलेक्टर, पाली

मुकदमा प्रार्थी को अप्रार्थी से दिलवाया जावें। प्रार्थी अधिवक्ता ने निगरानी के समर्थन में द हिन्दु सक्सेशन एक्ट 1956 पेज संख्या 102 पेश किये।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 02 ने अपनी बहस एवं लिखित जवाब में कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 02 का मकान ग्राम किरवा की आबादी भूमि मे जिसके पड़ौस प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित किये जो सही है,परन्तु प्रार्थी स्वर्गीय रूपचंद जी के एकमात्र गोदी पुत्र है इस कारण उक्त मकान में आधे भाग का कानुनी मालिक है, इस सम्बध में प्रार्थी के रूपचंद के गोदीपुत्र होने का कथन स्वीकार नही है। पत्रावली में गोदनामे के संबंध में ऐसा कोई प्रलेख जिसे गोदनामा माना जा सके पेश नही किया गया है तथा अन्य सबुत कानूनन गोदनामे के संबंध में मान्य योग्य नही है ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा गोदपुत्र होने के कथन आधारहीन है तथा लालाराम द्वारा ग्राम पंचायत किरवा से अपने हक में उक्त वादग्रस्त मकान का पट्टा प्राप्त करने में कोई अवैध कार्य नही किया तथा ऐसे मामले में जहां मामला विशुद्व रूप से सिविल वाद का है उसमें ग्राम पंचायत द्वारा गोदनामा को वैध आधार मानकर प्रार्थी को पट्टा प्रदान करने का क्षैत्राधिकार प्राप्त नही है। अप्रार्थी संख्या 02 को पट्टा जारी करने में प्रार्थी या किसी अन्य द्वारा कोई आपत्ती ग्राम पंचायत में पेश नही की गई है। वादग्रस्त मकान मृतक सूराराम जी की मिल्कियत का है जिसके संबंध में अतिरिक्त जाचं की कोई आवश्यकता नही है, क्योंकि उनके बयान तथा मौका रिपोर्ट के कथन पेश किये जा चुके है। प्रार्थी द्वारा जिला निर्वाचन कार्यालय देसूरी से ग्राम पंचायत किरवा की नामांकन पत्रावली वर्ष 1998, वर्ष 2003 के निर्वाचन नामावलियों एवं राशन कार्ड की प्रतिलिपियों से कही भी प्रार्थी के गोद पुत्र होने के तथ्य प्रमाणित नही होते है। ग्राम पंचायत किरवा द्वारा पंचायत नियमों के तहत विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए पट्टा संख्या 12 अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नही है। अतः निगरानी खारिज की जावे।

उभयपक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख व दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत कीरवा द्वारा मिसल संख्या 74/2010–2011 संकल्प संख्या 09 दिनांक 17.11.2011 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 12 दिनांक 03.07.2011 के विरूद्व पेश की गई है। अप्रार्थी संख्या 02 ने दिनांक 20.04.2010 को ग्राम पंचायत कीरवा के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर विक्रय विलेख जारी करने का निवेदन किया। आवेदन पत्र पर सरपंच द्वारा अंकित टिप्पणी अनुसार कोर्ट एवं नक्शा फीस के रूपये आवेदक द्वारा जमा करवाया जाना अंकित है। इसके पश्चात दिनांक 20.04.2010 को मिसल दर्ज रजिस्टर की गई एवं सचिव को नक्शा बनाकर पेश करने के निर्देश दिये गये। इस आदेश की पालना में जो नक्शा तैयार किया गया है, जिस पर लालाराम, नक्शे बनाने वाले एंव सरपंच के हस्ताक्षर है। दिनांक 07.06.2010 को नक्शा पेश होना अंकित है। इस पर नियम 146(2) के अनुसार तीन वार्ड पंचों को मौका देखने हेतु मनोनित किया है, जिन्होने सचिव द्वारा बनाये गये नक्शे एंव तीन पंचो की मौका रिपोर्ट साथ पेश की। प्रपत्र 22 में आपत्ति एक माह का उजरदारी नोटिस जारी कर चस्पा किया गया, जिस पर मौतबिरान श्री चुनाराम एंव मोतीसिंह के हस्ताक्षर है, इसके पश्चात एक माह की अवधि में किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नही होने पर अप्रार्थी को अपने कब्जे की पुष्टि में दो गवाह के बयान दर्ज कराने के आदेश दिये गये जिस पर श्री मोतीसिंह व एक अन्य गवाह के बयान लिये गये जिस पर सरपंच के हस्ताक्षर है। जहां तक जैर निगरानी आज्ञा

अति. जिला कलेक्टर, पाली

एवं उसकी पालना में जारी पट्टे की वैधानिकता का प्रश्न है तो प्रकरण में प्रार्थी द्वारा स्वयं को रूपचन्द का गोदी पुत्र होना बताते हुए प्रश्नगत मकान में अपना अधिकार निहित होना रेखांकित करते हुए यह निगरानी याचिका प्रस्तुत की है। प्रथमतः तो हक अधिकारों का निर्धारण करना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नही है तथा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 की परिधी में हक अधिकारों का परीक्षण भी नही किया जा सकता है। धारा 97 के तहत पट्टा जारी करने अर्थात पंचायत द्वारा जो आज्ञा जारी की गई है उसकी कार्यवाही आदि का विधिक परीक्षण किया जाना है। इस प्रकरण में ग्राम पचांयत द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में विहित प्रकिया की पालना करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नही होती है। ग्राम पचांयत द्वारा पट्टा जारी करने में पूर्णतया विधि–सम्मत एवं न्यायोचित कार्यवाही की गई है। जहां तक हक अधिकारों का प्रश्न है, तो इस हेतु प्रार्थी अपने हक अधिकारों के निर्धारण हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा ग्राम पंचायत कीरवा द्वारा मिसल संख्या 74/2010–2011 संकल्प संख्या 09 दिनांक 17.11.2011 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 12 दिनांक 03.07.2011 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत धीनावास का रेकर्ड लौटाया जावे।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 26.04.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली